

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक
विषय:-

64 / चारा/3-डी-60/होचा/2014-15, दिनांक 8 मार्च, 2016
नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में चारा दाना विकास योजनान्तर्गत हस्त चालित कुट्टी काटने की मशीन उपलब्ध कराया जाना (75 प्रतिशत केन्द्र/25 प्रतिशत लाभार्थी अंश) योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष उपयोग हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-15/2016/668/सैतीस-2-2016-1(24)/2014, दिनांक 05 मार्च 2016 को वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गयी है, जिसका आबंटन इस कार्यालय के पत्र संख्या-600/बजट/29(5)/अनु0-15/30/2015-16, दिनांक 08.03.2016 से किया गया है। प्रश्नगत योजना में निम्न निर्देशों का अक्षरसः अनुपालन करते हुए आवंटित धनराशि का व्यय एवं उपयोग करना सुनिश्चित करें:-

- 1- योजना में हस्त चालित कुट्टी काटने की मशीन का मूल्य रु0-5000/-निर्धारित है। योजनान्तर्गत लाभार्थी को मशीन का वास्तविक मूल्य का 75 प्रतिशत अथवा रु0-3750/-जो भी कम होगा अनुदान दिया जायेगा। शेष मूल्य लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- 2- लाभार्थी को अनुदान की धनराशि नगद नहीं दी जायेगी। बल्कि बैंक खाते के माध्यम से भौतिक सत्यापन के उपरान्त उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना का लाभ लाभार्थी को एक ही बार उपलब्ध कराया जायेगा।
- 3- जनपद के ऐसे पशुपालक का चयन लाभार्थी के रूप में किया जायेगा, जो कम से कम 02 बड़े दुधारु पशु पालता हो।
- 4- योजनान्तर्गत लघु/सीमांत पशुपालकों का ही चयन किया जायेगा।
- 5- प्रदेश में अल्पसंख्यकों को शासनादेशानुसार 20 प्रतिशत निर्धारित आरक्षण के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों का चयन किया जाय।
- 6- दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हुए लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र को खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा, जिसका पर्यवेक्षण संबंधित ब्लॉक के पशुचिकित्साधिकारी अथवा नामित प्रतिनिधि करेंगे तथा प्राप्ति रसीद (दिनांक व समय सहित) आवेदक को प्राप्त करायेगे।
- 7- लाभार्थियों का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें जिला कृषि अधिकारी सदस्य एवं संबंधित ब्लॉक के पशुचिकित्साधिकारी सदस्य तथा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी सदस्य/सचिव होंगे, के माध्यम से चयन किया जायेगा। यथा सम्भव प्रत्येक विकास खण्ड का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाय।
- 8- योजना के प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से प्रदेश में 5515 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाना है। अतः प्रत्येक ब्लॉक में छः या सात लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाना है। ब्लॉकवार लक्ष्यों का निर्धारण संलग्न है।
- 9- मशीनों का कय लाभार्थी द्वारा स्वयं ही किया जायेगा। मशीन कय करने में संबंधित फर्म को सम्पूर्ण भुगतान प्रथमतया लाभार्थी को स्वयं करना होगा।
- 10- लाभार्थी द्वारा कय की गयी मशीन का बिल-बाउचर्स स्वयं सत्यापित कर अनुदान प्राप्त करने हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय द्वारा प्राप्ति रसीद (दिनांक समय सहित) लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 11- मशीनों का कय सरकारी/अर्धसरकारी संस्थानों से ही किया जायेगा, उन्ही लाभार्थियों का भुगतान किया जाय, जिनके द्वारा उपरोक्त शर्तों का अनुपालन करें, अन्यथा की दशा में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- 12- बिल-बाउचर्स प्राप्त होने तथा स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् तत्काल लाभार्थी के बैंक खाते में अनुदान की धनराशि उल्लिखित निर्देशानुसार भेज दी जाये तथा लाभार्थी को लिखित रूप से भी अवगत कराया जायेगा।
- 13- मशीनों के क्रय मूल्य में एक रुपता होनी चाहिए, भिन्नता की स्थिति में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- 14- लाभार्थी की सूची संलग्न प्रारूप पर बिल-बाउचर्स की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुये निदेशालय को उपलब्ध करायी जाये।
- 15- आवंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 16- शासन के पत्र संख्या-7/2016/3370/सैंतीस-2-2015-1(24)/2014, दिनांक 19 फरवरी 2016, जो कि इस कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-34/प-2/3डी/64/ह0चा0/चारा/2015-16, दिनांक 19 फरवरी, 2016 से आपको पृष्ठांकित है, अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 17- वित्तीय एवं भौतिक प्रगति हेतु प्रारूप संलग्न है। संलग्न प्रारूपों पर हस्त चालित एवं शक्ति चालित लाभार्थियों की सूचना 30 अप्रैल, 2016 तक निदेशालय को अवश्य उपलब्ध करायें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(डा0राजेश बाबू वार्धेय),
निदेशक,

प्रशासन एवं विकास।
दिनांक।

पत्रांक /चारा/3-डी-60/ह0चा0/2014-15,

- 1- प्रतिलिपि समस्त अपर निदेशक ग्रेड-11, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से उक्त वर्णित निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- प्रतिलिपि समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(डा0राजेश बाबू वार्धेय),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

हस्तचालित कुट्टी काटने की मशीन के अंतर्गत जनपदवार लाभार्थियों की संख्या एवं प्रति
ब्लाक लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण

(धनराशि रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	जनपदवार ब्लाकों की संख्या	जनपदवार लाभार्थी संख्या	प्रति ब्लाक लाभार्थियों की संख्या	जनपदवार आवंटित
1	आगरा	15	105	7	393750.00
2	मथुरा	10	70	7	262500.00
3	मैनपुरी	9	63	7	236250.00
4	फिरोजाबाद	9	63	7	236250.00
	योग	43	301		1128750.00
5	अलीगढ़	12	84	7	315000.00
6	कासगंज	7	49	7	183750.00
7	एटा	8	56	7	210000.00
8	हाथरस	7	49	7	183750.00
	योग	34	238		892500.00
9	इलाहाबाद	20	120	6	450000.00
10	कौशाम्बी	8	48	6	180000.00
11	फतेहपुर	13	78	6	292500.00
12	प्रतापगढ़	17	102	6	382500.00
	योग	58	348		1305000.00
13	आजमगढ़	22	132	6	495000.00
14	मऊ	9	54	6	202500.00
15	बलिया	17	102	6	382500.00
	योग	48	288		1080000.00
16	बरेली	15	105	7	393750.00
17	बदायूं	15	105	7	393750.00
18	शाहजहांपुर	15	105	7	393750.00
19	पीलीभीत	7	49	7	183750.00
	योग	52	364		1365000.00
20	बस्ती	14	84	6	315000.00
21	सं.कबीरनगर	9	54	6	202500.00
22	सिद्धार्थ नगर	14	84	6	315000.00
	योग	37	222		832500.00
23	बांदा	8	48	6	180000.00
24	चित्रकूट	5	30	6	112500.00

क्र० सं०	जनपद का नाम	जनपदवार ब्लाकों की संख्या	जनपदवार लाभार्थी संख्या	प्रति ब्लाक लाभार्थियों की संख्या	जनपदवार आवंटित
25	हमीरपुर	7	42	6	157500.00
26	महोबा	4	24	6	90000.00
	योग	24	144		540000.00
27	फैजाबाद	11	77	7	288750.00
28	अम्बेडकरनगर	9	63	7	236250.00
29	अमेठी	13	91	7	341250.00
30	सुल्तानपुर	14	98	7	367500.00
31	बाराबंकी	15	105	7	393750.00
	योग	62	434		1627500.00
32	गोण्डा	16	112	7	420000.00
33	बलरामपुर	9	63	7	236250.00
34	बहराइच	14	98	7	367500.00
35	श्रावस्ती	5	35	7	131250.00
	योग	44	308		1155000.00
36	गोरखपुर	19	133	7	498750.00
37	महराजगंज	12	84	7	315000.00
38	देवरिया	16	112	7	420000.00
39	कुशीनगर	14	98	7	367500.00
	योग	61	427		1601250.00
40	झांसी	8	48	6	180000.00
41	ललितपुर	6	36	6	135000.00
42	जालौन	9	54	6	202500.00
	योग	23	138		517500.00
43	कानपुर नगर	10	70	7	262500.00
44	कानपुर देहात	10	70	7	262500.00
45	फर्रुखाबाद	7	49	7	183750.00
46	इटवा	8	56	7	210000.00
47	कन्नौज	8	56	7	210000.00
48	औरैया	7	49	7	183750.00
	योग	50	350		1312500.00
49	लखनऊ	8	56	7	210000.00
50	उन्नाव	16	112	7	420000.00
51	रायबरेली	18	126	7	472500.00
52	हरदोई	19	133	7	498750.00

क्र० सं०	जनपद का नाम	जनपदवार ब्लॉकों की संख्या	जनपदवार लाभार्थी संख्या	प्रति ब्लॉक लाभार्थियों की संख्या	जनपदवार आवंटित
53	सीतापुर	19	133	7	498750.00
54	खीरी	15	105	7	393750.00
	योग	95	665		2493750.00
55	मेरठ	12	84	7	315000.00
56	बागपत	6	42	7	157500.00
57	गाजियाबाद	4	28	7	105000.00
58	हापुड	4	28	7	105000.00
59	जी.बी. नगर	4	28	7	105000.00
60	बुलन्दशहर	16	112	7	420000.00
	योग	46	322		1207500.00
61	मिर्जापुर	12	72	6	270000.00
62	सोनभद्र	8	48	6	180000.00
63	भदोही	6	36	6	135000.00
	योग	26	156		585000.00
64	मुरादाबाद	8	56	7	210000.00
65	अमरोहा	6	42	7	157500.00
66	संभल	8	56	7	210000.00
67	रामपुर	6	42	7	157500.00
68	बिजनौर	11	77	7	288750.00
	योग	39	273		1023750.00
69	सहारनपुर	11	77	7	288750.00
70	शामली	5	35	7	131250.00
71	मुजफ्फरनगर	9	63	7	236250.00
	योग	25	175		656250.00
72	वाराणसी	8	56	7	210000.00
73	जौनपुर	21	147	7	551250.00
74	गाजीपुर	16	96	6	360000.00
75	चन्दौली	9	63	7	236250.00
	योग	54	362		1357500.00
	महायोग	821	5515		20681250.00

शक्ति चालित/हस्त चालित कुट्टी काटने की मशीन की भौतिक सूचना हेतु प्रारूप-1

क्र०सं	लाभार्थी का नाम	पिता का नाम	जाति / श्रेणी	स्थायी पता	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	बैंक / शाखा का नाम	खाता संख्या	मोबाइल नं०	चयन की दिनांक
0										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(नाम)
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद

शक्ति चालित/हस्त चालित कुट्टी काटने की मशीन की वित्तीय सूचना हेतु प्रारूप-2

क्र०सं	लाभार्थी का नाम	स्थायी पता	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	बैंक / शाखा का नाम	खाता संख्या	मोबाइल नं०	अनुदान की धनराशि	मशीन का वास्तविक मूल्य (रु० में)	मशीन का क्रय की गई संख्या का नाम
0										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(नाम)
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद